वित्तीय वर्ष 2024–25 में आगामी तीन वर्षो के लिये प्राचार्य,नालन्दा मेडिकल कालेज,पटना के उपयोग हेतु भाडा पर इनोवा क्रिस्टा (AC) वाहन की सेवा हेतु निविदा के नियम एवं शर्ते :–

(क) तकनिकी निविदा :–इस के तहत निम्न कागजात प्रस्तुत करना होगा।

1. तकनिकी निविदा में अग्रधन के रूप में 50,000.00 (पचास हजार) रू0 मात्र का बैंक ड्राफट प्रस्तुत करना होगा,जो प्राचार्य,नालन्दा मेडिकल कालेज,पटना के पदनाम से भुगतेय होगा।
2. तकनिकी निविदा में फर्म का निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
3. तकनिकी निविदा में फर्म के नाम का GST निबंधन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना होगा।
4. तकनिकी निविदा में निविदादाता का पैन कार्ड की छाया प्रति एवं निविदादाता का Assessment Year 2020-21,2021-22 & 2022-23 का आयकर रिर्टन की छाया प्रति संलग्न करना होगा।
5. तकनिकी निविदा में काली सूची में दर्ज नही होने का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. तकनिकी निविदा में सरकारी,सार्वजनिक उपकम अथवा प्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्थानों में विगत तीन वर्षो का कार्य अनुभव होना चाहिए।इसके लिये संबंधित संस्थान से निर्गत परफारमेंस प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना होगा।

(ख) वित्तीय निविदा :–इसके तहत वाहन का भाडा (चालक का परिश्रमिक सहित) मसिक दर/प्रति किलोमीटर दर सभी कर सहित उल्लेखित करना होगा। स्वीकृत दर के अतिरिक्त किसी प्रकार का दर मान्य नही होगा।

निविदा के नियम एवं शर्ते :–

1. वाहन यथा संभव नया देना होगा।तीन वर्ष से अधिक पुराना वाहन मान्य नही होगा।
2. बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग के मानदण्ड के अनुसार चालक को न्युनतम दैनिक मजदुरी का भुगतान करना होगा।
3. सफलीभूत निविदादाता को कालेज को दी जाने वाली वाहन का व्यवसायिक पंजीकरण,फिटनेस,रोड टैक्स अदायगी एवं प्रदूषण का अध्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। संबंधित कागजात मोटरयान अधिनियम के अर्न्तगत अध्यतन होना चाहिए एवं इसके देयता की जिम्मेदारी पूर्णता वाहन मालिक की होगी।
4. सफलीभूत निविदादाता को कार्यादेश निर्गत के 15 दिनों के अन्दर वाहन उपलब्ध कराना होगा तथा इस आश्य का इकरारनामा 1000 रू0 मात्र के नन–जुडिसियल स्टाम्प वित्तीय निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
5. सफलीभूत निविदादाता को वाहन चालक का व्यवसायिक ड्राईभिंग लाईसेंस प्रस्तुत करना होगा।
6. वाहन का रख–रखाव,परिचालन,मरम्मति एवं अन्य सभी प्रकार का खर्च वाहन स्वामी को स्वंय करना होगा,इसके लिये किसी प्रकार का अलग राशि देय नही होगा।
7. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे प्राचार्य,नालन्दा मेडिकल कालेज,पटना के नियंत्रण में रहेगा।
8. सेवा संतोषप्रद नही होने,वाहन खराव हो जाने पर वाहन स्वामी का दायित्व होगा कि वे तुरन्त (अधिकतम आधा घंटा के अन्दर) दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा।ऐसी नही करने पर 1000 रू0 मात्र से 5000 रू0 मात्र का आर्थिक दण्ड दिया जा सकता है।
9. सफलीभूत निविदादाता को परफारमेंस सिकयुरिटी के रूप में कुल एग्रिमेन्ट राशि का 5 प्रतिशत राशि का बैंक गारंटी प्रस्तुत करना होगा।

10. सफलीभूत निविदादाता को अधोहस्ताक्षरी से एग्रिमेन्ट करना होगा। एग्रिमेन्ट के पश्चात ही कार्यादेश निर्गत किया जायगा।

11. यह निविदा तीन वर्षो की होगी। परन्तु एक वर्ष के लिये कार्यादेश निर्गत किया जायगा।प्रथम वर्ष की सेवा संतोषजनक पाये जाने पर दूसरे वर्ष का कार्यादेश निर्गत किया जायगा। उसी प्रकार दुसरे बर्ष की सेवा संतोषजनक पाये जाने पर तीसरे बर्ष के लिये कार्यादेश निर्गत किया जायगा।

12. नियमानुसार कर की कटौती विपत्र से की जायगी।

13. बिहार सरकार से प्राप्त आवंटन से विपत्र का भुगतान किया जायगा।कतिपय कारणों से आवंटन उपलब्ध नही रहने अथवा विलम्व से प्राप्त होने की स्थिति में विपत्र भुगतान में विलम्व हो सकता है। विलम्व के लिये किसी प्रकार का सुद/ब्याज देय नही होगा।

14. जिन निविदादाता का तकनिकी निविदा विहित शर्तो के अधीन पाया जायगा,उन्ही के वित्तीय निविदा को कय समिति के द्वारा खोला जायगा।

15. प्रतिदिन वाहन का परिचालन कुल कितने किलोमीटर हुआ तथा कहॉ से कहॉ तक के लिये हुआ,इसका पंजी में संधारित कर प्रत्येक दिन महाबिद्यालय प्रशासन/अधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कराना होगा।

16. अग्रिम राशि का भुगतान नही किया जायगा।

17. किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय,पटना होगा।

18. समय–2 पर सरकार द्वारा निर्गत नियमन/संकल्प/परिपत्र का अनुपालन करना होगा।

19. कय समिति का निर्णय अंतिम होगा। अधोहस्ताक्षरी को बिना बताये किसी/सभी निविदा को रदद करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

1/8/24

प्राचार्य

नालन्दा मेडिकल कालेज,पटना

1-8-24 01/08/24